UPMT010014322026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।

उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–664/2026
भूरा, सूरजभान एवं श्रीमती शीला प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–109/2026, धारा 85,140(1),61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण **भूरा, सूरजभान एवं श्रीमती शीला** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की बहन पूनम को अतिरिक्त दहेज लाने हेतु तंग व परेशान करना तथा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए पूनम की हत्या करने के आशय से उसका अपहरण कर गायब कर देना, आक्षेपित है।

3– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि उनको झूंठा, रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है, जबकि वे पूर्णतः निर्दोष हैं। गुमशुदा पूनम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पूनम पूर्व में भी कई बार बिना बताये घर से चली गयी थी तथा काफी तलाश के बाद ही वापस घर आयी थी। इस बात के बारे में पूनम के मायके वालों को भी पता है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्तगण द्वारा गुमशुदा श्रीमती पूनम पत्नी भूरा के गुमशुदा होते ही थाना हाईवे जिला मथुरा में पूनम को ढूंढने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। स्वयं भी काफी तलाश किया व वर्तमान में भी कर रहे हैं तथा दिनांक 19.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिया किन्तु फिर भी पूनम के भाई ने थाना पुलिस से सांठगांठ कर अभियुक्तगण पर झूंठा आरोप लगाते हुए उक्त झूंठी एफ०आई०आर० दर्ज करा दी है। वे अग्रिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं करेंगे। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही पूर्व सजायाफ्ता हैं। यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से न तो निरस्त हुआ और न ही विचाराधीन है। वे न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेंगे। अतः उनको दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष के तर्क हैं कि आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा की बहन पूनम को अतिरिक्त दहेज लाने हेतु तंग व परेशान किया गया तथा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए पूनम की हत्या करने के आशय से उसका अपहरण कर गायब कर दिया गया। अपहृता पूनम की अभी बरामदगी नहीं हो सकी है।

जहां तक आवेदक/अभियुक्तगण का यह तर्क है कि पूनम पूर्व में भी कई बार बिना बताये घर से चली गयी थी तथा काफी तलाश के बाद ही वापस घर आयी थी, अपने इस तर्क के समर्थन में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कोई साक्ष्य जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपराध गम्भीर प्रवृत्ति का है। मामले की विवेचना चल रही है, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत की पात्र नहीं है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.10 17:20:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामजद हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अपहृता की गुमशुदगी की सूचना थाना हाईवे पर देना व दिनांक 19.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से प्रार्थनापत्र प्रेषित करना बताया गया है। किन्तु गुमशुदगी की सूचना दिये जाने के बावत कोई दस्तावेजीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से पत्र प्रेषित करना कहा गया है, किन्तु उक्त के बावत पंजीकृत डाक रसीद आदि दाखिल नहीं की गयी है।

मामले में अपहृता की बरामदगी होना शेष है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–10.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा

सन्देश वर्मा, पी०एस०

I.D.No.–UP1910